

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-347

जिसका उत्तर 12 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत संकट

***347. श्री जुएल ओराम:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने विद्युत के गंभीर संकट का सामना कर रहे राज्यों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) विद्युत की आवश्यकता तथा विभिन्न स्रोतों से वास्तविक विद्युत उत्पादन के संबंध में राज्य-वार किया गया आकलन क्या है;
- (ग) इन राज्यों की मांग को पूरा करने हेतु विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिये विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) विद्युत संकट से उबरने के लिये इन राज्यों की सहायतार्थ नये उपाय करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है

"विद्युत संकट" के बारे में लोक सभा में दिनांक 12.12.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 347 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ) : देश में विद्युत का कोई संकट नहीं है। चालू वर्ष के दौरान व्यस्ततम अधिकतम मांग लगभग 183 गीगावाट (जीडब्ल्यू) थी जबकि देश में संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 365 जीडब्ल्यू है जो व्यस्ततम मांग की दोगुनी है। राज्य अपनी मांग अपने उत्पादन स्रोतों तथा केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से अपने हिस्से से पूरा करते हैं। दीर्घकालीन विद्युत क्रय करारों के अतिरिक्त राज्यों के पास पावर एक्सचेंजो से किसी भी समय विद्युत खरीदने का विकल्प है तथा विद्युत की मांग पूरी तरह से पूरी कर सकते हैं। इस प्रकार पर्याप्त से अधिक विद्युत उपलब्ध है और राज्य/वितरण कंपनियां जितनी विद्युत की उन्हें जरूरत है उतनी विद्युत ले सकती हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3958

जिसका उत्तर 12 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है ।

अधिशेष विद्युत

3958. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में उपलब्ध ऊर्जा/अधिशेष विद्युत की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अधिशेष विद्युत/ऊर्जा वाले राज्यों की सूची का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या अधिशेष विद्युत/ऊर्जा वाले राज्य नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देने के अनिच्छुक हैं और वे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में स्थापित एवं नवागंतुकों को हतोत्साहित/परेशान कर रहे हो क्योंकि यह अत्यधिक सस्ती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या इस संबंध में कुछ राज्यों ने मसौदा विनियमन का प्रस्ताव दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे विनियमनों का प्रस्ताव करने वाले राज्यों की सूची क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) : चालू वर्ष अर्थात् 2019-20 (नवम्बर, 2019 तक) के दौरान ऊर्जा के रूप में विद्युत की वास्तविक मांग और आपूर्ति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऊर्जा के मामले में मांग-आपूर्ति में अन्तर 'शून्य' अथवा न्यूनतम है। यह न्यूनतम अन्तर भी देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता के अलावा अन्य कारकों के कारण है। यह उल्लेखनीय है कि विद्युत का उत्पादन और इसकी आपूर्ति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की ऊर्जा की मांग के अनुपात में होती है और कुल आधिक्य जो उपरोक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध होता है, का उपयोग कमी वाले राज्यों द्वारा विभिन्न बाजार आधारित अनुबंधों के माध्यम से किया जाता है।

(ख) और (ग) : राज्यों/राज्य विद्युत यूटिलिटियों को अपनी विद्युत मांग को संसाधन पर्याप्ता योजना जो राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित होती है, के माध्यम से पूरा करना होता है। प्रत्येक संबंधित राज्य नवीकरणीय क्रय उत्तरदायित्व (आरपीओ) को भी पूरा करना होता है जिसकी निगरानी उनके संबंधित एसईआरसी द्वारा की जाती है। आरपीओ को पूरा करने के लिए राज्य अधिशेष राज्यों से नवीकरणीय ऊर्जा के लिए दायित्व बंधन करते हैं। इसे दिसम्बर, 2022 तक चालू की जाने वाली सौर एवं पवन परियोजनाओं के लिए अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभारों की छूट देकर प्रोत्साहित किया गया है। इसके अलावा चूंकि नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत की लागत काफी प्रतिस्पर्धात्मक हो गई है, इसलिए राज्य नवीकरणीय स्रोतों से अधिक हिस्से के साथ अपने विद्युत क्रय पोर्टफोलियो में अभिवृद्धि करने की योजना बना रहे हैं। नवीकरणीय स्रोतों से संपन्न राज्यों ने भी अपनी क्षमता को बढ़ाने की योजना बनाई है क्योंकि यह उन राज्यों को अधिक राजस्व प्राप्त करने में सक्षम बनायेगा। इस प्रकार सभी राज्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने में योगदान कर रहे हैं।

लोक सभा में दिनांक 12.12.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3958 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

चालू वर्ष अर्थात 2019-20 (दिसंबर, 2019 तक) के दौरान ऊर्जा के संबंध में विद्युत की वास्तविक मांग और आपूर्ति का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा

ऊर्जा के संबंध में 2019-20 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2019 - नवंबर, 2019*				
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा		आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,261	1,261	0	0.0	
दिल्ली	25,047	25,039	8	0.0	
हरियाणा	40,385	40,372	13	0.0	
हिमाचल प्रदेश	7,005	6,957	48	0.7	
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	12,694	10,162	2,532	19.9	
पंजाब	43,781	43,775	6	0.0	
राजस्थान	54,021	53,989	32	0.1	
उत्तर प्रदेश	90,052	88,922	1,130	1.3	
उत्तराखंड	10,052	9,959	93	0.9	
उत्तरी क्षेत्र	284,299	280,436	3,863	1.4	
छत्तीसगढ़	20,822	20,820	3	0.0	
गुजरात	76,422	76,421	1	0.0	
मध्य प्रदेश	47,637	47,637	0	0.0	
महाराष्ट्र	102,043	102,042	0	0.0	
दमन और दीव	1,740	1,740	0	0.0	
दादर नगर हवेली	4,397	4,397	0	0.0	
गोवा	2,863	2,863	0	0.0	
पश्चिमी क्षेत्र	255,924	255,919	4	0.0	
आंध्र प्रदेश	43,462	43,425	38	0.1	
तेलंगाना	42,273	42,271	2	0.0	
कर्नाटक	45,318	45,316	2	0.0	
केरल	17,331	17,291	40	0.2	
तमिलनाडु	73,669	73,666	3	0.0	
पुडुचेरी	1,985	1,984	1	0.1	
लक्षद्वीप #	31	31	0	0.0	
दक्षिणी क्षेत्र	224,039	223,952	87	0.0	
बिहार	22,695	22,622	73	0.3	
झारखंड	15,211	15,209	2	0.0	
झारखंड	5,962	5,923	40	0.7	
ओडिशा	21,312	21,312	0	0.0	
पश्चिम बंगाल	38,951	38,847	105	0.3	
सिक्किम	336	336	0	0.0	
अंडमान- निकोबार #	231	215	15	6.7	
पूर्वी क्षेत्र	104,468	104,248	220	0.2	
अरुणाचल प्रदेश	500	497	3	0.6	
असम	7,101	6,644	457	6.4	
मणिपुर	576	571	5	0.8	
मेघालय	1,360	1,341	19	1.4	
मिजोरम	426	422	3	0.7	
नागालैंड	540	536	4	0.7	
त्रिपुरा *	1,126	1,103	23	2.1	
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	11,630	11,115	515	4.4	
अखिल भारतीय	880,359	875,671	4,688	0.5	

* अनंतिम

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह स्टैंड अलोन प्रणाली में हैं, इसलिए इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का भाग नहीं है।

बांग्लादेश को आपूर्ति छोड़कर।

टिप्पणी: राज्य यूटिलिटीयों/विद्युत विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट संकलित की गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3963
जिसका उत्तर 12 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है ।

आंतरिक गांवों में बिजली

3963. श्री सुनील कुमार मंडल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश के आंतरिक गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए कोई विशिष्ट रूपरेखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार की भविष्य में इसे आरंभ करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आंतरिक गांवों सहित सम्पूर्ण देश में 28.04.2018 तक सभी आवासित जनगणना गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3966
जिसका उत्तर 12 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है।

विद्युत फीडर

3966. श्री रितेश पाण्डेय:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का भूजल के प्रभावी उपयोग के लिए सभी राज्यों में कृषि और घरेलू उपयोग के लिए पृथक बिजली फीडर का विचार है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) कृषि क्षेत्र में बिजली की खपत का विस्तृत विश्लेषण क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर-कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की न्यायोचित आपूर्ति को सुकर बनाने के लिए कृषि एवं गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण; ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के सुदृढीकरण एवं अभिवृद्धि सहित विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए दिसंबर, 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की। फीडरों के पृथक्करण हेतु 15,560.58 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(घ) : कृषि क्षेत्र में विद्युत की खपत में बढ़ती हुई प्रवृत्ति हुई है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की रिपोर्टों में उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में कृषि क्षेत्र में विद्युत खपत क्रमशः 173185.37 एमयू, 191150.89 एमयू और 199246.85 एमयू है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3967
जिसका उत्तर 12 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है ।

जल विद्युत संयंत्र

3967. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का देश में जलविद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करने का विचार है;
- (ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान देश में जल विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन का संयंत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार के पास विगत पांच वर्षों के दौरान देश में शुरू किए गए और बंद किए गए जल विद्युत संयंत्रों के संबंध में कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी संयंत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार की देश में और अधिक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या सरकार इन आशंकाओं से अवगत है कि विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किए जा रहे बांध बरसात के मौसम में बाढ़ का कारण बनते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) : जी, हां। सरकार ने हाल ही में जल विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उपायों का अनुमोदन किया है जिनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

- i) वृहत जल विद्युत परियोजनाओं (>25 मेगावाट) को नवीकरणीय ऊर्जा घोषित करना,
- ii) जल विद्युत क्रय उत्तरदायित्व (एचपीओ),

- iii) प्रशुल्क युक्तीकरण उपाय,
- iv) बाढ़ नियंत्रण घटक हेतु बजटीय सहायता,
- v) पुल, सड़क आदि जैसी अवसंरचना को सक्षम बनाने हेतु बजटीय सहायता।

(ख) : पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में जल विद्युत उत्पादन का वर्ष-वार तथा संयंत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) : पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2014-15 से 2018-19 के दौरान, देश में कुल 4846 मेगावाट के 25 मेगावाट क्षमता से अधिक के 27 जल विद्युत संयंत्र आरंभ किए गए। इस संबंध में, वर्ष-वार तथा संयंत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में 25 मेगावाट क्षमता से अधिक का कोई जल विद्युत संयंत्र बंद नहीं किया है।

(घ) : वर्तमान में, देश में 12409.50 मेगावाट कुल क्षमता की 25 मेगावाट क्षमता से अधिक की 36 जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं (**अनुबंध-III**)।

(ङ) और (च) : मानसून के दौरान जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किए जा रहे बांधों के कारण बाढ़ नहीं आती है। भण्डारण क्षमता की उपलब्धता तथा बाढ़ के समय मौजूदा जलाशय स्तर के आधार पर मानसून के दौरान भंडारण आधारित जल विद्युत परियोजनाओं में बाढ़ सोखने की क्षमता होती है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2013 में भागीरथी तथा सहायक नदियों के जल भराव क्षेत्रों में हुई अभूतपूर्व वर्षा से अनुप्रवाह क्षेत्रों में आई बाढ़ को कम करने में टिहरी जल विद्युत परियोजना की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने हरिद्वार में हुई बाढ़ को 7000 क्यूमेक कम करके 14500 क्यूमेक कर दिया अन्यथा यह 21500 क्यूमेक होता।

लोक सभा में दिनांक 12.12.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3967 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान देश में जल विद्युत स्टेशनों (25 मेगावाट से अधिक) के लक्ष्य की तुलना में वर्ष-वार/संयंत्र-वार वास्तविक उत्पादन

क्रम सं.	संयंत्र का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट) 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार	ऊर्जा उत्पादन (एमयू)				
			2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	भाखड़ा लेफ्ट	540.00	5268.15	5892.62	5168.27	5134.02	4238.19
2	भाखड़ा राइट	785.00					
3	देहार	990.00	3151.06	3339.14	3184.68	3086.24	3226.30
4	पोंग	396.00	1327.36	1734.76	1369.93	1641.57	1512.56
5	बेरा सियुल	180.00	796.67	745.59	669.33	641.73	366.67
6	चमेरा-I	540.00	2551.80	2623.70	2224.39	2344.08	2484.56
7	चमेरा-II	300.00	1498.71	1523.98	1443.93	1487.11	1508.02
8	चमेरा-III	231.00	1020.78	1043.62	917.09	1068.05	1043.42
9	पारबती-III	520.00	660.78	643.00	682.48	710.53	608.30
10	नाथपा झाकड़ी	1500.00	6837.50	7313.79	7050.64	7207.73	6507.15
11	रामपुर	412.00	1317.57	1983.41	1960.42	2015.00	1828.77
12	कोलडैम	800.00	0.25	2308.60	3225.16	3313.62	3013.93
13	कशांग-I	65.00			56.09	197.13	118.24
	कशांग-II व III	130.00					
14	सैंज	100.00			0.00	134.99	408.81
15	बस्सी	66.00	295.01	315.90	297.76	315.17	251.56
16	गिरी बाटा	60.00	199.82	189.06	140.60	169.94	214.45
17	लारजी	126.00	609.69	656.85	611.66	612.36	593.86
18	संजय	120.00	545.09	0.00	187.40	493.39	589.42
19	शानन	110.00	507.82	532.57	472.88	508.52	472.39
20	अलियन दुहांगन	192.00	677.78	724.96	679.12	683.01	582.23
21	मलाना-II	100.00	250.41	354.42	366.54	368.89	349.39
22	बासपा-II	300.00	1252.58	1304.50	1342.75	1336.65	1275.58
23	करछम वांगटू	1000.00	4240.43	4726.32	4372.29	4569.93	3968.69
24	बुधहिल	70.00	235.83	287.85	261.25	317.63	288.08
25	चंजू-I	36.00			11.29	79.42	137.45
26	मलाना	86.00	328.43	341.94	353.79	346.29	320.55
27	चूटक	44.00	35.50	36.91	44.12	45.72	48.96
28	दुलहस्ती	390.00	2176.43	2361.48	2280.02	2343.86	2273.38
29	निम्मो बाजगो	45.00	75.55	90.51	95.21	98.83	105.55
30	सलल-I	345.00	3491.58	3591.36	3423.09	3247.09	3412.55
	सलल-II	345.00					
31	सेवा-II	120.00	597.06	597.07	470.61	506.39	498.32
32	उड़ी	480.00	3076.62	3282.97	2803.10	2349.66	3048.29
33	उरी-II	240.00	1188.18	1195.55	1471.94	1207.44	1580.92
34	किशनगंगा	330.00			0.00	1.68	529.25
35	बगलीहार	450.00	2939.91	3000.14	2184.56	2506.71	2291.15
36	बगलीहार-II	450.00		55.60	1758.98	1821.95	1857.91
37	लोअर झेलम	105.00	600.87	666.21	483.15	480.99	589.33
38	अपर सिंध-II	105.00	303.32	258.35	362.91	327.24	305.97
39	गंगुवाल	77.65	422.89	421.93	416.54	494.09	599.37
40	कोटला	77.65	430.32	430.45	430.58	508.22	609.60
41	आनंदपुर साहिब-I	67.00	617.50	668.54	673.87	647.81	427.78
42	आनंदपुर साहिब-II	67.00					

43	मुकेरियां-I	45.00						
44	मुकेरियां-II	45.00						
45	मुकेरियां-III	58.50	1050.95	1169.46	1083.51	1270.76	1244.13	
46	मुकेरियां-IV	58.50						
47	रंजीत सागर	600.00	1862.80	1957.27	1306.08	1803.42	1454.52	
48	जवाहर सागर	99.00	296.17	349.34	307.55	261.10	247.00	
49	माही बजाज-I	50.00						
50	माही बजाज-II	90.00	185.84	166.35	209.66	180.17	117.08	
51	आर पी सागर	172.00	381.32	518.10	448.78	378.26	334.32	
52	खारा	72.00	363.92	321.06	268.93	259.14	286.14	
53	माताटीला	30.60	80.54	79.01	122.68	93.81	97.48	
54	ओबरा	99.00	229.00	160.09	216.71	299.96	231.03	
55	रिहंद	300.00	574.23	374.92	567.24	833.78	561.71	
56	धौली गंगा	280.00	743.49	1089.63	956.13	1153.16	1106.21	
57	टनकपुर	94.20	446.71	452.36	430.29	459.74	452.89	
58	टिहरी	1000.00	3023.55	3101.00	3146.32	3080.94	3172.08	
59	कोटेश्वर	400.00	1210.17	1248.05	1224.55	1220.33	1223.84	
60	चिब्रो (वाई. स्टे.-II)	240.00	872.10	813.78	714.00	783.57	809.53	
61	चिल्ला	144.00	800.49	753.67	769.35	811.66	632.41	
62	धकरनी (वाई. स्टे.-I)	33.75	149.41	136.86	120.19	129.68	147.48	
63	धकरनी (वाई. स्टे.-I)	51.00	231.14	205.06	180.40	186.71	219.99	
64	खटीमा	41.40	45.18	120.45	180.14	212.60	232.25	
65	खोदरी (वाई. स्टे.-II)	120.00	406.99	375.94	333.29	355.75	369.68	
66	कुलहल (वाई. स्टे.-IV)	30.00	156.16	138.98	122.20	123.97	146.55	
67	मनेरी भाली-I	90.00	379.14	486.53	349.22	394.77	430.40	
68	मनेरी भाली-II	304.00	888.92	1229.06	1251.71	1276.65	1302.34	
69	रामगंगा	198.00	269.83	502.53	180.94	250.64	188.14	
70	श्रीनगर	330.00	0	901.37	1280.75	1382.54	1375.31	
71	विष्णु प्रयाग	400.00	1815.94	1210.65	2042.05	2160.90	1932.02	
72	हसदियोबांगो	120.00	258.18	323.30	153.76	178.07	243.08	
73	कदाना पीएसएस	240.00	211.53	289.91	339.01	308.92	237.39	
74	उकई	300.00	690.63	491.52	395.66	303.53	210.58	
75	सरदार सरोवर सीएचपीएच	250.00	611.67	704.55	876.34	562.86	594.84	
76	सरदार सरोवर आरबीपीएच	1200.00	2297.75	1465.88	2332.87	376.61	0.00	
77	इंदिरा सागर	1000.00	2541.90	1974.21	3320.79	881.76	1308.79	
78	औंकारेश्वर	520.00	1128.93	955.01	1427.70	443.6	612.04	
79	बनसागर टोन्स-I	315.00	1081.36	574.48	1239.02	545.37	578.35	
80	बनसागर टोन्स-III	30.00	86.09	107.48	109.73	56.12	37.09	
81	बनसागर टोन्स-II	60.00	121.05	39.88	53.48	68.80	85.32	
82	बारजी	90.00	498.46	328.10	445.47	159.05	356.19	
83	गांधी सागर	115.00	272.15	383.05	351.00	351.38	249.88	
84	मधीखेरा	60.00	97.16	92.16	147.21	22.52	88.99	
85	राजघाट	45.00	82.53	36.94	62.26	58.21	80.02	
86	भीरा टेल रेस	80.00	91.25	73.87	101.58	97.15	94.57	
87	घाटघर पीएसएस	250.00	320.25	301.86	383.87	152.83	192.98	
88	कोयना डीपीएच	36.00	93.41	136.47	156.02	135.15	196.18	
89	कोयना स्टे.-I व II	600.00	1163.44	1239.60	1290.21	1051.22	1024.61	
90	कोयना स्टे.-III	320.00	588.21	534.04	614.14	498.91	480.65	
91	कोयना-IV	1000.00	1206.74	1066.70	1245.48	945.47	1066.51	
92	तिल्लारी	60.00	113.86	44.16	106.16	57.81	110.96	
93	वैतर्णा	60.00	203.82	122.62	153.52	204.62	154.17	
94	पेंच	160.00	390.13	378.51	360.14	159.53	131.61	
95	भंडारधारा-II	34.00	65.40	82.55	47.12	42.55	56.44	
96	भीरा	150.00				341.17	351.02	
97	भीरा पीएसएस	150.00	837.07	640.34	951.63	551.13	558.77	
98	भिवपुरी	75.00	300.68	196.92	206.59	307.20	315.90	
99	खोपोली	72.00	303.75	261.23	307.24	316.38	342.49	
100	एन.जे.सागर टीपीडी	50.00	0.00	0.00	7.35	42.13	49.92	

101	एन.जे.सागर आरबीसी	90.00	187.29	0.00	4.15	59.73	101.55
102	श्रीसेलम आरबी	770.00	1152.73	206.05	640.61	574.95	551.07
103	अपर सिलेरू-1 व II	240.00	522.47	465.27	340.41	482.22	476.34
104	लोअर सिलेरू	460.00	1287.11	1233.14	831.90	1109.77	1094.06
105	अलमती डैम	290.00	483.01	145.16	404.05	441.58	408.42
106	भद्रा	26.00	50.59	40.08	27.06	15.69	55.21
107	गेरूसोप्पा	240.00	556.90	303.19	276.60	280.89	525.67
108	घाटप्रभा	32.00	66.04	31.93	48.74	48.37	80.67
109	जोग	139.20	346.89	318.36	288.25	191.48	194.44
110	कद्रा	150.00	405.14	220.48	176.42	192.91	375.85
111	कालीनदी	855.00	3255.42	1948.48	1344.82	1537.28	2777.85
112	सुपा डीपीएच	100.00	453.32	324.94	239.20	290.98	596.16
113	कोडासली	120.00	385.76	203.26	154.16	170.94	345.56
114	लिंगामक्की	55.00	256.27	118.94	105.64	125.55	252.53
115	मुनीराबाद	28.00	107.20	61.83	31.49	51.38	89.42
116	शारावथी	1035.00	5255.46	2664.50	2708.77	2722.35	4786.18
117	शिवसमुद्रम	42.00	221.93	216.46	145.14	176.81	284.19
118	वराही	460.00	1131.72	752.39	740.75	762.44	1243.79
119	टी.बी. डैम	36.00	184.65	129.36	81.26	133.97	171.75
120	हम्पी	36.00					
121	इदमलायर	75.00	372.66	273.00	171.72	256.26	345.50
122	इदुक्की	780.00	2494.20	2372.40	1380.06	1611.06	2920.43
123	कक्कड	50.00	192.94	184.22	131.68	159.88	221.66
124	कुट्टीयाडी एवं कुट्टीयाडी एडि.	75.00	740.47	578.05	478.72	601.06	693.38
125	कुट्टीयाडी एक्सटें.	50.00					
126	कुट्टीयाडी एडिशनल एक्सटें.	100.00					
127	लोअर पेरियार	180.00	577.15	510.72	307.23	507.74	525.18
128	नारीमंगलम	45.00	343.30	350.50	197.30	310.60	377.85
129	पल्लीवसल	37.50	211.66	218.69	166.05	188.39	185.25
130	पन्नियर	30.00	154.90	174.30	62.33	129.47	114.59
131	पोरिंगलकुट्टू	32.00	151.02	159.70	91.10	116.74	94.60
132	साबरीगिरी	300.00	1224.73	1171.17	798.79	968.46	1516.40
133	सैंगुलम	48.00	151.37	160.99	115.66	144.91	122.98
134	शोलायर	54.00	238.25	210.01	166.85	204.69	202.39
135	अलियर	60.00	158.35	152.96	61.73	90.08	48.57
136	भवानी के बैराज-III	30.00	0.00	5.68	17.47	0.00	34.06
137	भवानी के बैराज-II	30.00	137.56	7.03	19.83	37.62	77.16
138	भवानी के बैराज-I	30.00	67.90	156.51	20.59	16.96	70.20
139	कदमपराई पीएसएस	400.00	502.50	412.63	289.39	384.36	434.75
140	कोडायर-I	60.00	202.02	278.58	169.43	123.98	194.08
141	कोडायर-II	40.00					
142	कुडहा-I	60.00	1550.67	1372.44	815.61	806.23	1608.99
143	कुडहा-II	175.00					
144	कुडहा-III	180.00					
145	कुडहा-IV	100.00					
146	कुडहा-V	40.00					
147	लोअर मेट्टूर-I	30.00	266.71	223.36	92.27	131.95	220.32
148	लोअर मेट्टूर-II	30.00					
149	लोअर मेट्टूर-III	30.00					
150	लोअर मेट्टूर-IV	30.00					
151	मेट्टूर डैम	50.00	442.62	341.43	125.48	52.24	147.96
152	मेट्टूर टनल	200.00				163.32	440.59
153	मोयार	36.00	144.73	103.64	61.52	94.40	161.99
154	पपानासम	32.00	118.23	116.57	66.54	115.28	120.91
155	पर्सन्स वैली	30.00	34.83	25.63	23.95	27.11	45.94
156	पेरियार	161.00	527.56	504.79	93.91	287.10	703.00
157	पाइकारा	59.20	39.00	56.89	12.74	0.98	22.05
158	पाइकारा अल्टीमेट	150.00	367.03	280.56	192.55	274.11	507.96

159	साराकरपथी	30.00	134.24	79.28	63.29	85.46	129.65
160	शोलायर-I	70.00	261.58	263.79	228.11	157.73	220.86
161	सुरुलियर	35.00	103.43	92.50	42.71	70.69	92.55
162	लोअर जुराला	240.00	0.00	8.98	176.34	205.90	153.31
163	एन.जे. सागर पीएसएस	815.60	1032.63	88.15	186.15	184.49	338.82
164	एन.जे. सागर एलबीसी	60.00	42.07	0.00	0.00	12.80	53.30
165	पोचमपड	36.00	12.87	0.00	75.29	35.69	31.70
166	प्रियदर्शिनी जुराला	234.00	224.65	30.42	211.99	217.40	165.00
167	पुलीचिंताला	120.00			13.00	6.60	17.30
168	श्रीसैलम एलबी	900.00	1801.59	154.78	617.22	829.10	985.18
169	पंचेट	80.00	129.26	68.97	133.51	141.94	79.79
170	सुबर्णरेखा-I	65.00					
171	सुबर्णरेखा-II	65.00	33.73	51.24	30.13	190.38	101.19
172	बालीमेला	510.00	1339.23	622.01	1001.38	1477.19	1732.21
173	हीराकुंड (बुरला)	275.50					
174	हीराकुंड (चिपलिमा)	72.00	887.10	683.86	716.97	863.05	548.58
175	रेंगाली	250.00	742.46	599.46	553.56	762.61	837.89
176	अपर इंद्रावती	600.00	2696.43	1760.44	1521.64	1745.57	2141.84
177	अपर कोलाब	320.00	734.48	767.06	619.34	706.87	923.25
178	मचकुंद	114.75	519.79	477.47	700.31	467.70	593.68
179	रंगित	60.00	327.68	345.27	347.14	345.91	349.09
180	तीस्ता-V	510.00	2586.75	2710.17	2773.46	2818.78	2701.46
181	तीस्ता-III	1200.00	0.00	0.00	309.42	4429.33	4258.40
182	जोरथांग लूप	96.00	0.00	75.06	405.63	406.01	409.75
183	ताशिडिंग	97.00			0.00	73.07	423.73
184	चुजाचैन एचईपी	110.00	430.86	421.43	494.75	444.79	417.40
185	दिक्चू	96.00				370.10	462.24
186	तीस्ता लो डैम-III	132.00	394.21	514.87	553.87	386.87	572.06
187	तीस्ता लो डैम-IV	160.00	0.00	18.76	602.53	495.15	708.45
188	मैथॉन	63.20	138.04	107.54	122.03	114.41	101.36
189	जलढाका-I	36.00	109.42	173.37	205.46	145.18	197.04
190	पुरुलिया पीएसएस	900.00	1408.85	1064.56	1106.97	1014.37	1103.97
191	रम्माम-II	50.00	237.35	253.77	248.42	122.47	236.93
192	रंगानदी	405.00	1109.48	1280.25	1249.01	1416.74	1051.85
193	पारे	110.00				0.00	347.16
194	कोपिली	200.00	629.46	781.80	1088.27	1172.83	1117.82
195	खांडोंग	50.00	87.86	175.05	197.10	260.77	203.82
196	कारबी लंगपी	100.00	402.43	408.88	396.59	484.98	372.72
197	दोयांग	75.00	165.15	163.14	258.94	274.39	231.47
198	लोकटक (मणिपुर)	105.00	372.44	536.64	741.07	837.74	602.61
199	किरदमकुलई	60.00	113.10	117.51	65.29	132.18	134.84
200	मिटडू	126.00	408.98	444.35	391.65	502.47	362.95
201	न्यू उमतरू	40.00				159.52	180.03
202	उमियम स्टे.-I	36.00	90.46	114.08	96.65	128.65	85.11
203	उमियम स्टे.-IV	60.00	162.75	184.99	166.01	217.44	166.60
204	तुरियल	60.00	0.00	0.00	0.00	78.37	168.44
	कुल		129243.68	121376.75	122377.56	126122.70	134893.61

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 12.12.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3967 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2014-15 से 2018-19 तक जल विद्युत क्षमता अभिवृद्धि

क्रम सं.	परियोजना का नाम/संस्थापित क्षमता (सं. x मेगावाट)	राज्य/एजेंसी	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की तिथि	टिप्पणियां
वर्ष 2014-15							
1	पारबती-III (4x130 मेगावाट)	केंद्रीय/एनएचपीसी	हिमाचल प्रदेश	4	130	22.05.2014	यूनिट 1,2 व 3, 2013-14 में चालू की गईं
2	रामपुर, (6x68.67 मेगावाट)	केंद्रीय/एसजेवीएन एल	हिमाचल प्रदेश	4	68.67	12.06.2014	यूनिट 1,2 व 5, 2013-14 में चालू की गईं
				3	68.67	31.07.2014	
				6	68.67	04.12.2014	
3	कोलडैम (4x200 मेगावाट)	केंद्रीय/एनटीपीसी	हिमाचल प्रदेश	2	200	30.03.2015	यूनिट 3 व 4, 2015-16 में चालू की गईं
				1	200	31.03.2015	
उप-जोड़: (2014-15)					736		
वर्ष 2015-16							
4	कोलडैम, (4x200 मेगावाट)	केंद्रीय/एनटीपीसी	हिमाचल प्रदेश	3	200	10.04.2015	-
				4	200	12.06.2015	
5	तीस्ता लो डैम-IV (4x40 मेगावाट)	राज्य	पश्चिम बंगाल	1	40	14.02.2016	यूनिट 3 व 4, 2016-17 में चालू की गईं
				2	40	15.03.2016	
6	बगलीहार स्टे.-II (3x150 मेगावाट)	राज्य/जेकेपीडीसी	जम्मू व कश्मीर	1	150	05.09.2015	-
				2	150	29.09.2015	
				3	150	26.10.2015	
7	लोअर जुराला, (6x40 मेगावाट)	राज्य/ टीएसजैको	तेलंगाना	1	40	14.10.2015	यूनिट 4 व 5, 2016-17 में चालू की गईं
				2	40	30.09.2015	
				3	40	04.01.2016	
				4	40	05.03.2016	
8	श्रीनगर (4x82.5 मेगावाट)	राज्य/ एचपीसीएल	उत्तराखंड	1	82.5	10.04.2015	-
				3	82.5	20.04.2015	
				4	82.5	03.06.2015	
				2	82.5	08.06.2015	
9	जोरथांग लूप (2x48 मेगावाट)	निजी/डैस प्रा. लि.	सिक्किम	1	48	22.09.2015	-
				2	48	23.09.2015	
उप-जोड़: (2015-16)					1516		
वर्ष 2016-17							
10	तीस्ता लो डैम-IV(4x40 मेगावाट)	राज्य	पश्चिम बंगाल	3	40	03.07.2016	-
				4	40	11.08.2016	
11	कशांग-I (1x65 मेगावाट)	राज्य एचपीपीसीएल	हिमाचल प्रदेश	1	65	10.10.2016	-
12	लोअर जुराला, (6x40 मेगावाट)	राज्य/ टीएसजैको	तेलंगाना	5	40	20.08.2016	

				6	40	29.09.2016	-
13	नागार्जुन सागर, (2x25 मेगावाट)	राज्य/एपीजेको	आंध्र प्रदेश	1	25	05.01.2017	-
				2	25	28.01.2017	
14	पुलीचिंताला, (4x30 मेगावाट)	टीएसजेको	तेलंगाना	1	30	25.09.2016	यूनिट 2 व 3, 2017-18 में चालू की गई और यूनिट 4 2018-19 में चालू की गई
15	कशांग-II व III (1x65 + 1x65 मेगावाट)	राज्य/ एचपीपीसीएल	हिमाचल प्रदेश	1	65	02.01.2017	-
				2	65	22.08.2016	
16	तीस्ता-III, (6x200 मेगावाट)	राज्य/तीस्ता ऊर्जा लि.	सिक्किम	3	200	14.01.2017	-
				1	200	15.01.2017	
				5	200	24.01.2017	
				2	200	27.01.2017	
				6	200	28.01.2017	
				4	200	16.02.2017	
17	चंजू-I (3x12 मेगावाट)	निजी/आई.ए. एनर्जी	हिमाचल प्रदेश	1	12	17.02.2017	यूनिट 3, 2017-18 में चालू की गई
				2	12	01.02.2017	
उप-जोड़: (2016-17)					1659		
वर्ष 2017-18							
18	तुरियल (2x30 मेगावाट)	केंद्रीय/ नीपको	मिजोरम	1	30	25.08.2017	-
				2	30	28.11.2017	
19	किशनगंगा (3x330 मेगावाट)	केंद्रीय/ एनएचपीसी	जम्मू व कश्मीर	1	110	13.03.2018	-
				2	110	21.03.2018	
				3	110	30.03.2018	
20	न्यू उमतरू, (2x20 मेगावाट)	राज्य/ एमईपीजीसीएल	मेघालय	1	20	22.04.2017	-
				2	20	30.06.2017	
21	सैंज (2x50 मेगावाट)	राज्य/ एचपीपीसीएल	हिमाचल प्रदेश	1	50	04.09.2017	-
				2	50	04.09.2017	
22	पुलीचिंताला (4x30 मेगावाट)	राज्य/ टीएसजेको	तेलंगाना	2	30	26.10.2017	-
				3	30	01.11.2017	
23	दिक्चू (2x48 मेगावाट)	निजी/स्नेहा काइनेटिक	सिक्किम	1	48	11.04.2017	-
				2	48	12.04.2017	
24	चंजू-I (3x12मेगावाट)	निजी/आई.ए. एनर्जी	हिमाचल प्रदेश	3	12	26.07.2017	-
25	ताशिडिंग (2x48.5 मेगावाट)	निजी/शीगा एनर्जी	सिक्किम	1	48.5	06.11.2017	-
				2	48.5	06.11.2017	
उप-जोड़: (2017-18)					795		
वर्ष 2018-19							
26	पारे (2x55 मेगावाट)	केंद्रीय/नीपको	अरुणाचल प्रदेश	1	55	28.05.2018	-
				2	55	21.05.2018	
27	पुलीचिंताला (4x30 मेगावाट)	राज्य/ टीएसजेको	तेलंगाना	4	30	08.09.2018	-
उप-जोड़: (2018-19)					140		
कुल जोड़					4846 मेगावाट		

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 12.12.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3967 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की सूची - क्षेत्र-वार (30.11.2019 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	परियोजना का नाम/संस्थापित क्षमता	यूनिट सं.	राज्य/जिला कार्यान्वयन एजेंसी	नदी/बेसिन	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की संभावना
	केंद्रीय क्षेत्र					
1	पकल दुल 4x250= 1000 मेगावाट	यू-1 से यू-4	जम्मू व कश्मीर/सीवीपीपीएल (एनएचपीसी, जेकेएसपीडीसी और पीटीसी का संयुक्त उद्यम)	मरुसदर/चिनाब/इंडस	1000	2023-24 (अगस्त, 23)
2	पारबती स्टे.-II 4x200= 800 मेगावाट	यू-1 से यू-4	हिमाचल प्रदेश/कुल्लू/एनएचपीसी	पारबती/ब्यास/इंडस	800	2021-22 (दिसंबर, 21)
3	सुबानसिरी लोअर 8x250= 2000 मेगावाट	यू-1 से यू-8	अरुणाचल प्रदेश/लोअर सुबानसिरी, धेमाजी/ एनएचपीसी	सुबानसिरी/ब्रह्मपुत्र	2000	2023-24
4	तीस्ता- VI 4x125= 500 मेगावाट	यू-1 से यू-4	सिक्किम/साउथ सिक्किम/लैंको/एनएचपीसी	तीस्ता/ब्रह्मपुत्र	500	2023-24
5	तपोवन विष्णुगाड 4x130=520 मेगावाट	यू-1 से यू-4	उत्तराखंड /चमोली/एनटीपीसी	धौलीगंगा/अलकनंदा व /गंगा	520	2020-21 (दिसंबर, 20)
6	रम्माम-III 3x40=120 मेगावाट	यू-1 से यू-3	पश्चिम बंगाल/दार्जिलिंग/एनटीपीसी लि.	रम्माम/रंगित/तीस्ता ब्रह्मपुत्र	120	2021-22 (फरवरी, 22)
7	लता तपोवन 3x57= 171 मेगावाट	यू-1 से यू-3	उत्तराखंड/चमोली/एनटीपीसी	धौलीगंगा/अलकनंदा व गंगा	171	2023-24 *
8	टिहरी पीएसएस 4x250= 1000 मेगावाट	यू-1 से यू-4	उत्तराखंड/टिहरी गढ़वाल/टीएचडीसी	भीलंगना/भागीरथी/गंगा	1000	2021-23 (जून, 22)
9	विष्णुगाड पीपलकोटि 4x111= 444 मेगावाट	यू-1 से यू-4	उत्तराखंड/चमोली/टीएचडीसी	अलकनंदा/गंगा	444	2022-23 (दिसंबर, 22)
10	कामेंग 4x150= 600 मेगावाट	यू-1 से यू-4	अरुणाचल प्रदेश/वेस्ट कामेंग/ नीपको	बिचोम न टेंगा/कामेंग/ब्रह्मपुत्र	600	2020 (यूनिट 1 व 2 - जनवरी, 2020 और यूनिट-3 व 4-जुलाई, 2020)
11	मैटवर मोरी 2x30=60 मेगावाट	यू-1 से यू-2	उत्तराखंड/उत्तरकाशी/एसजेवीएनएल	टोन्स/यमुना/गंगा	60	2021-22 (दिसंबर, 21)
12	रत्ले# 4x205+1x30= 850 मेगावाट	यू-1 से यू-5	एनएचपीसी/ जम्मू व कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लि. (जेकेएसपीडीसी)	चिनाब/इंडस	850	2023-24 *
			उप-जोड़ (केंद्रीय):		8065	
	राज्य क्षेत्र					
13	परनई 3x12.5= 37.5 मेगावाट	यू-1 से यू-3	जेएंडके/पूंच/जेकेएसपीडीसी	झेलम/इंडस	37.5	2021-22 (मार्च, 22)
14	लोअर कलनई 2x24= 48 मेगावाट	यू-1 से यू-2	जेएंडके/किश्तवाड़/ जेकेएसपीडीसी	चिनाब/इंडस	48	2022-23 *
15	शाहपुरकंडी 3x33+3x33+1x8= 206 मेगावाट	यू-1 से यू-7	पंजाब/गुरदासपुर/सिंचाई विभाग व पीएसपीसीएल	रावी/इंडस	206	2021-22 (नवंबर, 21)
16	उहल-III 3x33.33= 100 मेगावाट	यू-1 से यू-3	हिमाचल प्रदेश/मंडी/ ब्यास वैली पावर कारपो. लि. (बीवीपीसी)	उहल/ब्यास/इंडस	100	2019-20 (मार्च, 20)
17	सवारा कुड्डू 3x37= 111 मेगावाट	यू-1 से यू-3	हिमाचल प्रदेश/शिमला/एचपीपीसीएल	पब्बार/टोन्स/गंगा	111	2019-20 (मार्च, 20)

क्रम सं.	परियोजना का नाम/संस्थापित क्षमता	यूनिट सं.	राज्य/जिला कार्यन्वयन एजेंसी	नदी/बेसिन	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की संभावना
18	शॉगटॉग करचम 3x150= 450 मेगावाट	यू-1 से यू-3	हिमाचल प्रदेश/किन्नौर/एचपीपीसीएल	सतलुज/इंडस	450	2023-25 (अप्रैल, 24)
19	व्यासी 2X60=120 मेगावाट	यू- 1 & यू- 2	उत्तराखंड/देहरादून/यूजेवीएनएल	यमुना/गंगा	120	2020-21 (दिसंबर, 20)
20	कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस 2x40= 80 मेगावाट	यू-1 से यू-2	महाराष्ट्र/सतारा/डब्ल्यूआरडी, महाराष्ट्र सरकार	कोयना/कृष्णा/ईएफआर	80	2022-23 *
21	पोलावरम 12x80= 960 मेगावाट	यू-1 से यू-12	आंध्र प्रदेश/ईस्ट एंड वेस्ट गोदावरी/एचजेको/ सिचाई विभाग, आंध्र प्रदेश	गोदावरी/ईएफआर	960	2021-23 (मार्च, 23)
22	पल्लीवसल 2x30= 60 मेगावाट	यू-1 से यू-2	केरल/इदुक्की/केएसईबी	मुदिरापुझा/पेरियार/बेपोर पेरियार/डब्ल्यूएफआर	60	2021-22 (दिसंबर, 21)
23	थोटियार 1x30 + 1x10= 40 मेगावाट	यू-1 से यू-2	केरल/इदुक्की/केएसईबी	थोटियार/पेरियार/बेपोर पेरियार/डब्ल्यूएफआर	40	2020-21 (दिसंबर, 20)
24	कुंडहा पम्पड स्टोरेज (फेज-I, फेज-II व फेज-III) 4x125= 500 मेगावाट	यू-1 से 4	तमिलनाडु/नीलगिरीस/टेनजेडको	कुंडहा/भवानी/कावेरी/ईएफआर	500	2022-23
			उप-जोड़ (राज्य):		2712.5	
	निजी क्षेत्र					
25	सोरांग 2x50= 100 मेगावाट	यू-1 & यू-2	हिमाचल प्रदेश/किन्नौर/हिमाचल सोरांग पावर	सोरांग/सतलुज/इंडस	100	2019-20 (मार्च, 20)
26	टंगनु रोमई-I 2x22= 44 मेगावाट	यू-1 से यू-2	हिमाचल प्रदेश/शिमला/टंगु रोमई पावर जेनरेशन	पब्वार/टोन्स/यमुना/गंगा	44	2021-22 *
27	बजोली होली 3x60= 180 मेगावाट	यू-1 से यू-3	हिमाचल प्रदेश/चंबा/जीएमआर बजोली होली हाइड्रो पावर प्रा. लि.	रावी/इंडस	180	2019-20 (मार्च, 20)
28	टिडोंग-I 2x50= 100 मेगावाट	यू-1 से यू-2	हिमाचल प्रदेश/किन्नौर/मैसर्स स्टारक्राफ्ट इंडिया प्रा. लि.	टिडोंग/सतलुज/इंडस	100	2021-22 (अक्टूबर, 21)
29	फाटा ब्यूंग 2x38= 76 मेगावाट	यू-1 से यू-2	उत्तराखंड/रुद्रप्रयाग/मैसर्स लैंको	मंदाकिनी/अलकनंदा गंगा	76	2021-22*
30	सिंगोली भटवारी 3x33= 99 मेगावाट	यू-1 से यू-3	उत्तराखंड/रुद्रप्रयाग/एलएंडटी उत्तरांचल हाइड्रो पावर लिमिटेड	मंदाकिनी/अलकनंदा गंगा	99	2019-20 (मार्च, 20)
31	महेश्वर## 10x40= 400 मेगावाट	यू-1 से यू-10	मध्य प्रदेश/खरगोन व खंडवाल/ एसएमएचपीसीएल	नर्मदा/सीआईआरएस	400	2020-22 *
32	रंगित-IV 3x40= 120 मेगावाट	यू-1 से यू-3	सिक्किम/वेस्ट सिक्किम/जल पावर कारपो. लि.	रंगित/तीस्ता/ब्रह्मपुत्र	120	2022-23 *
33	भास्मे 2x25.5= 51 मेगावाट	यू-1 से यू-2	सिक्किम/ईस्ट सिक्किम/गाटी इंफ्रास्ट्रक्चर	रांगपो/तीस्ता/ब्रह्मपुत्र	51	2022-23 *
34	रंगित-II 2x33= 66 मेगावाट	यू-1 से यू-2	सिक्किम/वेस्ट सिक्किम/सिक्किम हाइड्रो पावर लि.	ग्रेटर रंगित/तीस्ता/ब्रह्मपुत्र	66	2021-22 *
35	रांगनीचू 2x48= 96 मेगावाट	यू-1 से यू-2	सिक्किम/ईस्ट सिक्किम/मध्य भारत पावर कारपोरेशन लि.	रांगनीचू/तीस्ता/ब्रह्मपुत्र	96	2020-21 (सितंबर, 20)
36	पनन 4x75= 300 मेगावाट	यू-1 से यू-4	सिक्किम/नॉर्थ सिक्किम/हिमगिरी हाइड्रो एनर्जी प्रा. लि.	रांगयोंगचू/तीस्ता/ब्रह्मपुत्र	300	2023-24 *
			उप-जोड़ (निजी):		1632	
	कुल (सी.एस.+एस.एस./पी.एस.)				12409.5	

* कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध

सीआईआरएस-केंद्रीय भारत नदी प्रणाली ; ईएफआर:-ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स; डब्ल्यूएफआर:-वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स

जम्मू व कश्मीर सरकार, पीडीडी ने 09.02.2017 को पीपीए समाप्त कर दिया है और जेकेएसपीडीसी को परियोजना का कार्यभार संभालने का निर्देश दिया है। परियोजना को संयुक्त उद्यम मोड में कार्यान्वित करने के लिए एनएचपीसी (51 प्रतिशत भागीदारी) और जेकेएसपीडीसी (49 प्रतिशत भागीदारी) के बीच समझौता ज्ञापन पर 03.02.2019 को हस्ताक्षर किए गए।

एक अग्रणी ऋणदाता के रूप में पीएफसी ने 01 जून, 2016 से एसएमएचपीसीएल में बड़ी इक्विटी अर्थात 51 प्रतिशत इक्विटी हासिल की है। मामला न्यायाधीन है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3990
जिसका उत्तर 12 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन

3990. श्रीमती रंजनबेन भट्टः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्युत उत्पादन में कमी आ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कोई कदम उठाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री
(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 938.1 बी.यू. की तुलना में चालू वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवम्बर, 2019) के दौरान विद्युत उत्पादन बढ़कर 945.2 बिलियन यूनिट्स (बी.यू.) हो गया है।

दिनांक 30.11.2019 की स्थिति के अनुसार, देश में संस्थापित उत्पादन क्षमता 3,64,960 मेगावाट (एमडब्ल्यू) थी, जो हमारी वर्तमान आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त से अधिक है। तथापि, देश में भविष्य में बढ़ती विद्युत मांग को पूरा करने के लिए, कुल 59,615.65 मेगावाट परंपरागत विद्युत उत्पादन क्षमता का निर्माण विभिन्न स्तरों पर है। जिसमें 42,281.15 मेगावाट (कोयला और गैस), 12,034.5 मेगावाट जल विद्युत तथा 5,300 मेगावाट नाभिकीय ऊर्जा शामिल है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने 2021-22 के अंत तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 1,75,000 मेगावाट संस्थापित क्षमता का लक्ष्य रखा है जिसमें सौर ऊर्जा से 1,00,000 मेगावाट, पवन ऊर्जा से 60,000 मेगावाट, जैव ऊर्जा से 10,000 मेगावाट तथा लघु जल ऊर्जा से 5000 मेगावाट शामिल है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3998

जिसका उत्तर 12 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत उपकरणों की खरीद

3998. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का तापीय और जल विद्युत उत्पादकों के लिए स्थानीय बाजारों से विद्युत उपकरण खरीदने को अनिवार्य बनाने का विचार है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने दिशानिर्देश जारी करते समय यह सुनिश्चित किया है कि विद्युत उत्पादकों द्वारा खरीदे जाने वाले उपकरण स्थानीय बाजारों में उपलब्ध हों;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि स्थानीय बाजार में उपकरण उपलब्ध हों?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक प्रापण (मेक इन इण्डिया के लिए तरजीह) आदेश दिनांक 15.06.2017 तथा 28.05.2018 के अनुसरण में विद्युत मंत्रालय भारत सरकार ने क्रय तरजीह (स्थानीय अवयव से संबद्ध) के लिए व्यवस्था करने हेतु ताप विद्युत क्षेत्र के संबंध में दिनांक 28.12.2018 तथा जल विद्युत क्षेत्र के संबंध में दिनांक 20.12.2018 का आदेश अधिसूचित किया। 28.12.2018 तथा 20.12.2018 के आदेशों के अनुसार डीआईपीपी के संदर्भित आदेश के अनुसार ताप विद्युत और जल विद्युत क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले घरेलू रूप से भी निर्मित उत्पादों के लिए सरकारी प्रापक निकायों द्वारा तरजीह दी जायेगी। विभागों अथवा संबद्ध अथवा अधीनस्थ कार्यालयों अथवा विद्युत मंत्रालय द्वारा नियंत्रित स्वायत्त निकायों और कम्पनी अधिनियम में परिभाषित अनुसार सरकारी कम्पनियों सहित द्वारा किये जाने वाले प्रापण में स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को क्रय तरजीह दी जायेगी।

(ग) से (ङ) : उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित आदेश जारी करते समय विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार विद्युत उपकरणों की स्वदेशी उपलब्धता, चालू आयात अवयव तथा आगामी पांच वर्षों के लिए स्थानीय अवयव के लक्ष्य जिसमें उसके लिए विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आंकन शामिल हैं, ध्यान में रखा है। क्रय तरजीह (स्थानीय अवयव से संबद्ध) के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों में इस प्रकार के उपकरणों का स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करना होगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4003

जिसका उत्तर 12 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है ।

डीडीजी योजना का कार्यान्वयन

4003. श्री सत्यदेव पचौरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति क्या है और देश के सभी गाँवों में विद्युतीकरण के लिए क्या समय-सीमा है;
- (ख) क्या सरकार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा-स्रोतों के माध्यम से पिछड़े और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित गाँवों के विद्युतीकरण के लिए विकेन्द्रीकृत वितरण व उत्पादन (डीडीजी) योजना को लागू कर रही है; और
- (ग) यदि हां, तो इसके तहत अब तक कवर किए गए गाँवों की संख्या सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 28.04.2018 तक सभी आवासित जनगणना गाँवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4027
जिसका उत्तर 12 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है।

उजाला योजना

4027. श्री सौमित्र खान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) उजाला एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूबलाइट और उजाला कुशल पंखे की वर्तमान लागत कितनी है;
- (ख) इसके अंतर्गत अब तक वितरित किये गये बल्ब, पंखों और ट्यूबलाइटों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
- (ग) क्या सरकार का इसके अंतर्गत ऊर्जा दक्ष एयर कंडीशनर, इंडक्शन कुकर और रेफ्रिजरेटर का भी प्रदाय शुरू करने का विचार है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी समय-सीमा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

- (क) : उजाला स्कीम के अंतर्गत एक एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूब लाइट तथा ऊर्जा दक्ष पंखा की वर्तमान कीमत क्रमशः 70 रुपये, 290 रुपये तथा 1,110 रुपये है।
- (ख) : दिनांक 03 दिसम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी ने उजाला स्कीम के अंतर्गत 36.09 करोड़ एलईडी बल्ब, 71.60 लाख एलईडी ट्यूबलाइट और 23.10 लाख ऊर्जा दक्ष पंखे वितरित किए हैं। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार वितरण अनुबंध में दिया गया है।

उपरोक्त के अलावा, निजी क्षेत्र के बाजार के अन्य भागीदारों द्वारा 128.5 करोड़ एलईडी बल्बों की बिक्री की गई है।

(ग) और (घ) : जुलाई 2019 में ईईएसएल ने समुच्चय मांग के माध्यम से उपभोक्ताओं को 50,000 सुपर-एफिशिएंट एयर कंडीशनर प्रदान करने के लक्ष्य के साथ एक प्रायोगिक परियोजना प्रारंभ की है।

इसके अलावा, ईईएसएल ने उजाला कार्यान्वयन मॉडल में घरेलू उपभोक्ताओं को इंडक्शन चूल्हा वितरित करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू करने से संबंधित संकल्पना नोट प्रस्तुत किया है। तथापि, वर्तमान में ऊर्जा दक्ष इंडक्शन कुकर तथा रेफ्रिजरेटर शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

लोक सभा में दिनांक 12.12.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4027 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

उजाला स्कीम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, अब तक वितरित एलईडी बल्बों, पंखों और ट्यूबलाइटों की संख्या (3 दिसंबर, 2019 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एलईडी बल्ब	एलईडी ट्यूबलाइट	ऊर्जा दक्ष पंखे
1	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	4,00,000	-	-
2	आंध्र प्रदेश	2,20,36,888	1,49,543	3,24,403
3	अरुणाचल प्रदेश	4,99,498	42,713	32,508
4	असम	67,00,247	1,43,921	37,140
5	बिहार	1,94,63,420	1,13,133	42,057
6	चंडीगढ़	5,54,283	57,342	15,454
7	छत्तीसगढ़	1,07,04,834	2,78,898	62,463
8	दादरा और नगर हवेली	1,63,808	4,884	1,886
9	दमन और दीव	1,42,623	547	19
10	दिल्ली	1,31,96,846	2,54,538	17,913
11	गोवा	8,51,063	-	-
12	गुजरात	4,07,73,569	12,75,656	6,42,190
13	हरियाणा	1,55,77,764	2,13,177	60,607
14	हिमाचल प्रदेश	83,91,829	87,440	19,529
15	जम्मू और कश्मीर	77,23,734	14,363	7,283
16	झारखंड	1,35,89,780	1,67,343	31,559
17	कर्नाटक	2,29,35,097	4,11,886	69,838
18	केरल	1,53,59,379	19,650	9,100
19	लक्षद्वीप	2,00,000	50,000	-
20	लद्दाख	2,30,630	-	-
21	मध्य प्रदेश	1,75,30,894	4,24,773	1,08,049
22	महाराष्ट्र	2,19,71,431	5,31,133	1,86,211
23	मणिपुर	2,99,934	20,593	-
24	मेघालय	4,32,335	4,495	-
25	मिजोरम	6,15,225	36,125	1,579
26	नागालैंड	10,99,038	25,834	7,499
27	ओडिशा	5,22,16,381	1,59,008	37,470
28	पुडुचेरी	6,09,251	-	-
29	पंजाब	14,05,943	98,275	17,443
30	राजस्थान	1,70,57,552	3,45,985	89,683
31	सिक्किम	1,64,000	7,819	-
32	तमिलनाडु	41,20,230	6,18,097	1,63,974
33	तेलंगाना	21,79,667	3,06,900	47,862
34	त्रिपुरा	10,38,432	84,083	15,270
35	उत्तर प्रदेश	2,60,55,614	5,03,813	1,99,168
36	उत्तराखंड	54,70,383	39,112	5,711
37	पश्चिम बंगाल	92,29,228	6,69,711	56,558
	कुल	36,09,90,830	71,60,790	23,10,426

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4089
जिसका उत्तर 12 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है।

एक राष्ट्र एक ग्रिड

4089. श्री विजय कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को एक राष्ट्र एक ग्रिड योजना के कार्यान्वयन में किन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार देश में सभी विद्युत क्षेत्रों हेतु समान विद्युत शुल्क योजना पर विचार कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का बिजली के बिल आसानी से भरने में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) की आवश्यकताओं और क्षमता की जांच करने का प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का बिहार जैसे राज्यों की ओर विशेष ध्यान देने का भी प्रस्ताव है जहां प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : जी नहीं। “एक राष्ट्र एक ग्रिड” योजना के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई का सामना नहीं किया जा रहा है। वास्तव में “एक राष्ट्र एक ग्रिड” पांच विद्युत क्षेत्रीय ग्रिडों को एक इंटरकनेक्टेड और सिंक्रोनस राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड में एकीकरण करके पहले ही हासिल कर लिया गया है। देश में अंतर क्षेत्रीय पारेषण लिंको की क्षमता 31.03.2014 को 37,950 मेगावाट से बढ़कर 30.11.2019 की स्थिति के अनुसार 100,550 मेगावाट हो गई है।

(ग) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार विद्युत की खुदरा आपूर्ति टैरिफ निर्धारित करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग के कार्य क्षेत्र में आता है। विद्युत की खुदरा आपूर्ति टैरिफ विभिन्न घटकों जैसे विद्युत क्रय लागत तथा वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) के

अन्य प्रचालनात्मक तथा वित्तीय प्राचलों पर निर्भर करती है तथा सम्पूर्ण देश में विभिन्न डिस्कॉमों में अलग-अलग है। अतः देश में विद्युत के सभी क्षेत्रों के लिए एक समान विद्युत टैरिफ योजना बनाने के लिए सरकार की कोई योजना नहीं है।

(घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार टैरिफ निर्धारित करते समय राज्य विद्युत विनियामक आयोग, टैरिफ नीति से दिशा-निर्देशित होते हैं। टैरिफ नीति, 2016 में प्रावधान है कि राज्य सरकार निम्नलिखित विस्तृत सिद्धांतों को अपनाते हुए अधिनियम की धारा 65 के उपबंध के अनुसार जिस सीमा तक वे उपयुक्त समझे सब्सिडी दे सकते हैं:

- (i) गरीबी रेखा से नीचे के वे उपभोक्ता जो राष्ट्रीय विद्युत नीति में विनिर्दिष्ट अनुसार निर्दिष्ट स्तर से नीचे उपभोग करते हैं, क्रॉस सब्सिडी के जरिये विशेष सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं के निर्दिष्ट समूह के लिए टैरिफ आपूर्ति की औसत लागत का कम से कम 50 प्रतिशत होगा।
- (ii) इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए कि टैरिफ, विद्युत की आपूर्ति की लागत को प्रगामी रूप से प्रदर्शित करे, उपयुक्त आयोग एक ऐसा रोडमैप अधिसूचित करेगा जिससे आपूर्ति की औसत लागत को $\pm 20\%$ के भीतर लाया जा सके। रोडमैप में क्रॉस सब्सिडी में क्रमिक कमी करने के दृष्टिकोण के आधार पर मध्यवर्ती लक्ष्य भी होंगे।

(ङ) : भारत सरकार विद्युत वितरण अवसंरचना के उन्नयन और संवर्धन तथा सभी गांवों और घरों के लिए सार्वभौमिक विद्युत की पहुंच उपलब्ध कराने के लिए अपनी विभिन्न केन्द्रीकृत रूप से प्रायोजित परियोजनाओं जैसे दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना तथा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य के जरिये बिहार सहित सभी राज्यों को वित्तीय सहायता दे रही है ताकि संबंधित राज्य सरकार/डिस्कॉम अपने उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और 24x7 गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध करा सके जिससे अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिव्यक्ति खपत बढ़ेगी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4129
जिसका उत्तर 12 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है।

प्रीपेड मीटर लगाना

4129. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में प्रीपेड मीटर अधिष्ठापित करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां अब तक प्रीपेड मीटर अधिष्ठापित किए गए हो; और
- (घ) प्रीपेड मीटर लगाने वाली कंपनियों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मीटर लगाने के लिए निर्धारित मूल्य का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : मीटरिंग सहित विद्युत वितरण तथा अवसंरचना योजना राज्यों तथा उनकी यूटिलिटीज द्वारा की जाती है। भारत सरकार अवसंरचना में सुधार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके यूटिलिटीज की सहायता करती है।

सरकार ने सभी उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड मोड में अंतरित करने का रोड मैप तैयार करने हेतु अगस्त, 2019 में एडवाइजरी जारी की है।

(ग) : भारत सरकार ने अनुबंध-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) तथा राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) जैसी स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मोड में काम करने के लिए सक्षम तथा स्टैंडअलोन प्रीपेड मीटर स्वीकृत किए हैं।

स्मार्ट ग्रिड प्रायोगिक परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में अनुबंध-ख में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 1.56 लाख मीटर संस्थापित कर दिए गए हैं। मैसर्स एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड (ईईएसएल), जो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का संयुक्त उद्यम है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, एनडीएमसी दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश राज्यों में 8.2 लाख स्मार्ट मीटरों की संस्थापना की है।

(घ) : स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के अधिष्ठापन हेतु कोई कीमत निर्धारित नहीं की गई है। स्मार्ट मीटरों के संस्थापन का कार्य उन्नत मीटरिंग अवसंरचना (एएमआई) की स्थापना के समग्र कार्य में शामिल है जो प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के दौरान पायी गई है।

लोक सभा में दिनांक 12.12.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4129 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) की प्रणाली सुदृढीकरण परियोजनाओं के अंतर्गत संस्वीकृत स्मार्ट मीटरों और प्रीपेड मीटरों का ब्यौरा:-

(i) नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) के अंतर्गत संस्वीकृत स्मार्ट ग्रिड के अंतर्गत स्मार्ट मीटरों का ब्यौरा:

क्रम सं.	यूटिलिटी/राज्य	मीटरों की संख्या
1	चंडीगढ़ (सब-डिवीजन 5), सीईडी, यूटी	29,500
2	चंडीगढ़ सिटी (सब-डिवीजन 5 को छोड़कर), सीईडी, यूटी	1,84,000
3	रांची, जेबीवीएनएल, झारखंड	3,60,000
4	राऊरकेला, ओपीटीसीएल, ओडिशा	90,000
5	कोच्चि, केएसईबी, केरल	87,000
कुल		7,50,500

(ii) एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) के अंतर्गत संस्वीकृत प्रीपेड मीटरों का ब्यौरा:

क्रम सं.	राज्य	यूटिलिटी	प्रीपेड मीटर (सं.)	
			संस्वीकृत मात्रा	संस्थापित
1	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	एएन-डिस्कॉम	450	0
2	असम	एपीडीसीएल	2,553	701
3	छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल	45	0
4	जम्मू और कश्मीर	जेकेपीडीडी	365	0
5	केरल	सीपीटी	700	700
6		केएसईबीएल	0	0
7	मध्य प्रदेश	एमपीएमकेवीवीसीएल-सी	0	0
8		एमपीपीकेवीवीसीएल-ई	0	0
9		एमपीपीकेवीवीसीएल-डब्ल्यू	2,260	0
10	महाराष्ट्र	बीईएसटी	0	0
11		एमएसईडीसीएल	0	0
12	मणिपुर	मणिपुर-पीडी	35,460	35,409
13	मेघालय	एमईपीडीसीएल	6,400	3,960
14	मिजोरम	मिजोरम-पीडी	0	0
15	नागालैंड	नागालैंड-पीडी	19,000	5,000
16	पंजाब	पीएसपीसीएल	547	0
17	राजस्थान	एजेवीवीएनएल	0	0
18		जेएवीवीएनएल	108	108
19		जेओवीवीएनएल	0	0
20	सिक्किम	सिक्किम-पीडी	26,713	0
21	तेलंगाना	टीएसएनपीडीसीएल	0	0
22		टीएसएसपीडीसीएल	6,375	6,375
23	त्रिपुरा	टीएसईसी	27,447	0
24	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएनएल	0	0
25		केसको	500	0

26		एमवीवीएनएल	0	0
27		पीएवीवीएनएल	2,553	0
28		पीओवीवीएनएल	0	0
29	पश्चिम बंगाल	डीपीएल	100	0
		डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	0	0
	कुल :		1,31,576	52,253

स्रोत:पीएफसी

(iii) एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) के अंतर्गत संस्वीकृत स्मार्ट मीटरों का ब्यौरा:

क्रम सं.	राज्य	यूटिलिटी	संस्वीकृत सं.*
1	आंध्र प्रदेश	एपीईपीडीसीएल	284444
2		एपीएसपीडीसीएल	25000
3	बिहार	एनबीपीडीसीएल	350700
4		एसबीपीडीसीएल	434600
5	छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल	181997
6	गुजरात	डीजीवीसीएल	32882
7		एमजीवीसीएल	100000
8		पीजीवीसीएल	103555
9		यूजीवीसीएल	38950
10	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबीएल	135716
11	जम्मू व कश्मीर	जेकेपीडीडी	95
12	कर्नाटक	सेसकॉम	332850
13		हेसकॉम	343100
14	केरल	केएसईबीएल	341800
15		सीपीटी	800
16	मध्य प्रदेश	एमपीपीकेवीवीसीएल-डब्ल्यू	420893
17	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	400000
18	मिजोरम	मिजोरम-पीडी	5220
19	पंजाब	पीएसपीसीएल	88100
20	राजस्थान	एजेवीवीएनएल	188860
21		जेएवीवीएनएल	281782
22		जेओवीवीएनएल	97158
23	तेलंगाना	टीएसएनपीडीसीएल	65000
24		टीएसएसपीडीसीएल	13000
	कुल :		42,66,502

स्रोत:पीएफसी

* उपलब्ध सूचना के अनुसार, 98,280 मीटर पहले ही संस्थापित किए जा चुके हैं।

लोक सभा में दिनांक 12.12.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4129 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

स्मार्ट ग्रिड पायलट प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत संस्थापित स्मार्ट मीटरों का ब्यौरा:

क्रम सं.	पायलट परियोजना/राज्य	मीटरों की सं.	मीटर आपूर्तिकर्ता
1	एपीडीसीएल, असम	14,259	मैसर्स सिनहाल उद्योग
2	सीईएससी, कर्नाटक	20,916	मैसर्स ईआई सेवेडी, मैसर्स एलएंडटी, मैसर्स एल्स्टर
3	एचपीएसईबी, हिमाचल प्रदेश	1,335	मैसर्स जेनुस पावर
4	आईआईटी कानपुर, उत्तर प्रदेश	28	मैसर्स सुमेरु वर्दे एंड मैसर्स एचपीएल
5	पीईडी, पुडुचेरी	28,910	मैसर्स डोंगफांग इलेक्ट्रॉनिक्स
6	एसजीकेसी, मानेसर, हरियाणा	10	मैसर्स जेनुस पावर
7	टीएसईसीएल, त्रिपुरा	43,081	मैसर्स जेएनजे पावरकॉम
8	टीएसएसपीडीसीएल, तेलंगाना	8,882	मैसर्स ईसीआईएल
9	यूएचबीवीएन, हरियाणा	10,188	मैसर्स लोटस वायरलेस
10	यूडीवीसीएल, गुजरात	23,760	मैसर्स जेनुस पावर
11	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल, पश्चिम बंगाल	5,164	मैसर्स सीएमएस और मैसर्स सुमेरु वर्दे
कुल		1,56,533	

स्रोत: एनएसजीएम

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4133

जिसका उत्तर 12 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है।

केरल में जल विद्युत संयंत्रों की स्थिति

4133. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केरल राज्य के अधिकांश जल विद्युत संयंत्र अपनी उपयोगिता की सीमा को पार कर चुके हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या बांधों से संबंधित पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण कार्य अब तक किया जाना शेष है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या जल विद्युत संयंत्रों के बढ़े हुए प्रचालनात्मक और अनुरक्षण व्यय की पूर्ति करने के लिए केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग से और अधिक निधि की मांग की है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) : केरल में 16 जल विद्युत परियोजनाओं (अर्थात् 10 मेगावाट से अधिक) में से नौ स्टेशनों ने अपने उपयोगी जीवनकाल (सीईआरसी दिशा-निर्देशों के अनुसार 40 वर्ष की) को पार कर लिया है और उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	स्टेशन का नाम	संस्थापित क्षमता (सं.मेगावाट)	शुरूआत के बाद प्रचालन के वर्षों की संख्या
1.	पल्लीवसल	3x5 + 3x7.5	79
2.	संगुलम	4x12	65
3.	नेरियामंगलम	3x15	58
4.	पन्नियर	2x15	56
5.	पोरिंगलकुथ	4x8	62
6.	शोलायर	3x18	53
7.	साबरीगिरी	6x50	53
8.	कुट्टीयाडी	3x25	47
9.	इदुक्की (प्रथम स्तर)	3x130	43

(ख) : केरल सरकार और केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लि. (केएसईबीएल) ने जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से विश्व बैंक से वित्तीय सहायता के साथ बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी) शुरू की है जो 18 अप्रैल, 2012 को शुरू की गई। डीआरआईपी के जारी चरण में, केएसईबीएल की 12 जल विद्युत परियोजनाओं के 37 बांधों को शामिल किया गया है।

(ग) : जी, नहीं।

(घ) : प्रश्न नहीं उठता।
